



2026:AHC-LKO:3701-DB

ए.एफ.आर.

रिट सी संख्या 12211 वर्ष 2025

खालसा मेडिकल स्टोर

...याचिकाकर्ता

बनाम

आर.बी.आई. एवं अन्य

...प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता (ओं) के अधिवक्ता : जलज कुमार गुप्ता

प्रतिवादी (ओं) के अधिवक्ता : अमित जायसवाल, ओजस लॉ

(माननीय न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ द्वारा निर्णय सुनाया गया)

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जलज कुमार गुप्ता और ऐक्सिस बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमित जायसवाल ओजस को सुना गया।
2. विवेचना अधिकारी, पुलिस स्टेशन साइबर अपराध, राचाकोंडा, हैदराबाद, तेलंगाना को कई नोटिस दिए जाने के बावजूद, उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।
3. कार्यालय की रिपोर्ट इंगित करती है कि पिछले आदेशों का तामीला प्रतिवादी संख्या 4 पर कर दिया गया है।
4. ऐक्सिस बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है कि आज तक, उन्हें न तो प्रतिवादी संख्या 4 से कोई जब्ती आदेश प्राप्त हुआ है, और न ही याचिकाकर्ता के बैंक खाते के संबंध में उस राशि का कोई संकेत मिला है जिसे लियन (ग्रहणाधिकार) में रखा जाना आवश्यक है। श्री अमित जायसवाल ने बैंक द्वारा 21 नवंबर, 2025 को प्राप्त बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 94/106 के तहत उस नोटिस का उल्लेख किया, जिसमें

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

याचिकाकर्ता के खाते को डेबिट फ्रीज करने की मांग की गई थी। संबंधित विवेचना अधिकारी को बैंक द्वारा कई पत्र लिखे जाने के बावजूद बैंक को कोई अन्य दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने आगे राजस्थान उच्च न्यायालय के उस निर्णय पर भरोसा किया है जिसने धर्मेन्द्र चावरा हरीश भाई बनाम राजस्थान राज्य के मामले में एस.बी. आपराधिक प्रकीर्ण आवेदन संख्या संख्या 557 वर्ष 2025 में पारित आदेश में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है, जिसमें बी.एन.एस.एस. की धारा 94 के साथ पठित धारा 106 के अनुसार खाता कैसे जब्त किया जा सकता है, इसके संबंध में कुछ निर्देश जारी किए गए हैं।

5. यह निष्कर्ष निकालने से पहले कि क्या प्रतिवादियों की कार्रवाई कानून के अनुरूप है, उस प्रावधान को रिकॉर्ड पर रखना आवश्यक है जिसके तहत वर्तमान कार्रवाइयां शुरू की गई हैं। अतः, बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 106 और धारा 94 नीचे वर्णित हैं:-

"106. (1) कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी ऐसी संपत्ति को जब्त कर सकता है जिसके चोरी होने का आरोप या संदेह हो, या जो ऐसी परिस्थितियों में पाई जाए जिससे किसी अपराध के होने का संदेह पैदा होता हो।

(2) ऐसा पुलिस अधिकारी, यदि वह पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी का अधीनस्थ है, तो वह जब्ती की रिपोर्ट तुरंत उस अधिकारी को देगा।

(3) उप-धारा (1) के तहत कार्य करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को जब्ती की रिपोर्ट तुरंत देगा और जहां जब्त की गई संपत्ति ऐसी है कि उसे आसानी से न्यायालय तक नहीं ले जाया जा सकता है, या जहां ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उचित स्थान सुरक्षित करने में कठिनाई है, या जहां विवेचना के उद्देश्य से संपत्ति को पुलिस हिरासत में बनाए रखना आवश्यक नहीं माना जाता है, वह किसी भी व्यक्ति को इस शर्त पर उसकी अभिरक्षा दे सकता है कि वह आवश्यकता पड़ने पर संपत्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने और उसके निस्तारण के संबंध में न्यायालय के आगे के आदेशों को प्रभावी करने का वचन देते हुए एक बांड निष्पादित करे:

बशर्ते कि जहां उप-धारा (1) के तहत जब्त की गई संपत्ति शीघ्र और प्राकृतिक रूप से खराब होने वाली हो और यदि ऐसी संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात या अनुपस्थित है और ऐसी संपत्ति का मूल्य पांच सौ रुपये से कम है, तो इसे पुलिस अधीक्षक के आदेश पर नीलामी द्वारा तुरंत बेचा जा सकता है और धारा 505 और 506 के प्रावधान, जहाँ तक व्यावहारिक हो, ऐसी बिक्री की शुद्ध प्राप्ति पर लागू होंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

94(1) जब कभी कोई न्यायालय या किसी पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक संचार, जिसमें संचार उपकरण शामिल हैं और जिनमें डिजिटल साक्ष्य होने की संभावना है, या अन्य वस्तु का पेश किया जाना इस संहिता के तहत किसी विवेचना, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के उद्देश्यों के लिए आवश्यक या वांछनीय है, तो ऐसा न्यायालय या अधिकारी एक लिखित आदेश द्वारा, चाहे वह भौतिक रूप में हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, उस व्यक्ति से जिसके कब्जे या शक्ति में ऐसा दस्तावेज या वस्तु होने का विश्वास है, उसे समन या आदेश में बताए गए समय और स्थान पर उपस्थित होने और उसे पेश करने, या केवल उसे पेश करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) इस धारा के तहत जिस व्यक्ति से केवल कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु पेश करने की अपेक्षा की गई है, यदि वह स्वयं उपस्थित होने के बजाय उस दस्तावेज या वस्तु को पेश करवा देता है, तो यह माना जाएगा कि उसने उस आदेश का पालन कर दिया है।

(3) इस धारा की कोई भी बात—

(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 129 और 130 या बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 1891 को प्रभावित करने वाली नहीं मानी जाएगी; या

(ख) डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड, या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या वस्तु पर लागू नहीं होगी।"

6. यह भी अनिवार्य है कि जांच अधिकारी द्वारा प्रतिवादी-बैंक को जारी किए गए डेबिट फ्रीज की सूचना को रिकॉर्ड पर लाया जाए। इसका विवरण नीचे दिया गया है:-

"बी.एन.एस.एस. की धारा 94/106 के तहत नोटिस

यह निर्देशित किया जाता है कि खाता संख्या- 917030037515043, आई.एफ.एस.सी. कोड: UTIB0000291 को डेबिट फ्रीज किया जाए, क्योंकि साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, राचाकोंडा, हैदराबाद, तेलंगाना के अपराध संख्या: 520/2025 की विवेचना के लिए इसकी आवश्यकता है। खाताधारक इस खाते का उपयोग पीड़ित के खाते से इस खाते में धोखाधड़ी से पैसे स्थानांतरित करने के लिए कर रहा है। साथ ही, निम्नलिखित विवरण ईमेल के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे:

1. खाता खोलने की तिथि से लेकर आज तक का खाता विवरण।

2. खाता खोलने के फॉर्म की स्कैन की गई प्रति और पहचान एवं पते के प्रमाण के रूप में जमा किए गए दस्तावेज।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. खाते से जुड़े मोबाइल नंबर, ईमेल पता, पैन, ए.टी.एम. कार्ड नंबर और आधार नंबर।
 4. खाते में उपलब्ध शेष राशि।
 5. यदि पहले किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी/एजेंसियों से कोई नोटिस प्राप्त हुआ था, तो प्रेषक का विवरण (पुलिस स्टेशन का नाम और विवेचना अधिकारी का विवरण) हमारे साथ साझा करें।
 6. शाखा का विवरण (शाखा प्रबंधक का संपर्क विवरण) प्रदान करें।
 7. पिछले (03) महीनों के लिए इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग के लॉगिन और लॉगआउट आई.पी. विवरण प्रदान करें।
 8. उपरोक्त जानकारी के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(बी) का प्रमाणपत्र प्रदान करें और हार्ड प्रतियां नीचे दिए गए पते पर भेजें।
 9. स्रोत और लाभार्थी दोनों लेन-देन के लिए एन.ई.एफ.टी., आर.टी.जी.एस., आई.एम.पी.एस. और यू.पी.आई. विवरण भी प्रदान करें। अपेक्षित विवरण प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे।"
7. उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम तापस डी. नियोगी, जो (1999) 7 एस.सी.सी. 685 में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में सी.आर.पी.सी. की धारा 102 / बी.एन.एस.एस. की धारा 106 में प्रयुक्त 'संपत्ति' शब्द की व्यापक व्याख्या की है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह माना है कि एक बैंक खाता भी 'संपत्ति' है और जांच के दौरान पुलिस अधिकारी उस खाते को जब्त कर सकता है या उसके संचालन पर रोक लगा सकता है, यदि किसी अपराध के संबंध में कोई संदेह हो। उक्त निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे उद्धृत है:
- "12. विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के तहत जब्ती की शक्ति के संबंध में लिए गए अलग-अलग दृष्टिकोणों और क्या बैंक खाते को उक्त धारा 102(1) के अर्थ में 'संपत्ति' माना जा सकता है, इस पर विचार करने के बाद, हमें दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की कोई संकीर्ण व्याख्या करने का कोई औचित्य नहीं दिखता। यह सर्वविदित है कि सार्वजनिक कार्यालयों में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त हो गया है कि उससे निपटना मुश्किल हो गया है। फिर से, मुकदमों को समाप्त करने में न्यायालयों द्वारा लिया गया समय एक अन्य कारक है जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के प्रावधानों और उसमें निहित अंतर्निहित उद्देश्य की व्याख्या करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि यदि आरोपी के बैंक खाते की जब्ती का कोई आदेश

नहीं हो सकता है, तो बैंक में जमा सारा पैसा, जिसे अंततः मुकदमे में अवैध परितोष का परिणाम माना जाता है, आरोपी द्वारा निकाला जा सकता है और न्यायालय उस पैसे को प्राप्त करने में असमर्थ होंगे जिसका आरोपी द्वारा एक लोक सेवक के रूप में किए गए अपराध से सीधा संबंध है। इसलिए, हम यह विचार करने के लिए प्रेरित हैं कि आरोपी या उसके किसी भी रिश्तेदार का बैंक खाता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के अर्थ में 'संपत्ति' है और विवेचना के दौरान एक पुलिस अधिकारी उक्त खाते को जब्त कर सकता है या उसके संचालन को प्रतिबंधित कर सकता है यदि ऐसी संपत्ति का उस अपराध के साथ सीधा संबंध है जिसकी पुलिस अधिकारी जांच कर रहा है। कर्नाटक, गुवाहाटी और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्त किया गया विपरीत विचार सही कानून का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यह भी देखा जा सकता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत, धारा 13 की उप-धारा (2) के तहत जुर्माना लगाने के मामले में, विधायकों ने प्रावधान किया है कि न्यायालय जुर्माने की राशि तय करते समय उस संपत्ति की राशि या मूल्य पर विचार करेंगे जो आरोपी व्यक्ति ने अपराध करके प्राप्त की है या जहाँ दोषसिद्धि धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (ई) में संदर्भित अपराध के लिए है, तो उन आर्थिक संसाधनों या संपत्ति पर विचार करेंगे जिसका आरोपी व्यक्ति संतोषजनक विवरण देने में असमर्थ है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के तहत जब्ती की शक्ति के संबंध में हमारे द्वारा दी गई व्याख्या ऊपर संदर्भित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 16 में निहित विधायिका के इरादे के अनुरूप है। उपरोक्त आधारों पर, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यह मानने में त्रुटि की कि पुलिस अधिकारी बैंक खाते को जब्त नहीं कर सकता था या बैंक अधिकारी को आरोपी के खाते के संचालन पर रोक लगाने का कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता था। यद्यपि हमने कानून प्रतिपादित कर दिया है, लेकिन जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, आक्षेपित आदेश पहले ही प्रभावी हो चुका है और आरोपी अपने खाते का संचालन कर रहा है, और इसलिए, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं।"

8. उच्चतम न्यायालय ने तीस्ता अतुल सीतलवाड़ बनाम गुजरात राज्य, जो (2018) 2 एस.सी.सी. 372 में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में यह प्रतिपादित किया है कि बैंक खाते को संलग्न करने से पहले या उसके साथ-साथ पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं है, लेकिन क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को घटना के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे उद्धृत है:

"20. जहाँ तक बैंक खातों को फ्रीज करने के निर्देश जारी करने की प्रक्रिया का संबंध है, यह देखा गया है कि संहिता की धारा 102 की अनिवार्य शर्तों के अनुसार, 21-11-2014 को संबंधित मजिस्ट्रेट को सूचना देकर उसी प्रक्रिया का पालन किया गया है। धारा 102 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बैंक खाते की जब्ती से पहले खाताधारक को पूर्व सूचना देना अनिवार्य बनाता हो। मजिस्ट्रेट ने यह संज्ञान लेने के बाद कि बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा शशिकांत डी. कार्णिक बनाम महाराष्ट्र राज्य [शशिकांत डी. कार्णिक बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2008 क्रि. एल.जे. 148 (बॉम्बे)] में प्रतिपादित सिद्धांत को बॉम्बे न्यायालय के पूर्ण पीठ के निर्णय विनोदकुमार रामचंद्रन वल्लुवर [विनोदकुमार रामचंद्रन वल्लुवर बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2011 एस.सी.सी. ऑनलाइन बॉम्बे 402 : 2011 क्रि. एल.जे. 2522] के द्वारा उलट दिया गया है, उस तर्क को सही ढंग से खारिज कर दिया। बॉम्बे न्यायालय की पूर्ण पीठ ने यह व्याख्या की है कि धारा 102 के तहत किसी व्यक्ति के बैंक खाते को कुर्क करने की कार्रवाई से पहले या उसके साथ-साथ उसे नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। आदर्श को-ऑप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम भारत संघ [आदर्श को-ऑप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम भारत संघ, 2011 एस.सी.सी. ऑनलाइन बॉम्बे 974 : 2012 क्रि. एल.जे. 520] मामले में, बॉम्बे न्यायालय की खंडपीठ ने एक बार फिर इस मुद्दे पर विचार किया और उस तर्क को खारिज कर दिया कि बैंक खाते की जब्ती से पहले खाताधारक को पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक था। इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि बैंक खाता केवल आरोपी का होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि यह कोई भी ऐसा खाता हो सकता है जिससे किसी अपराध के किए जाने का संदेह पैदा होता हो। इस प्रकार लिया गया दृष्टिकोण हमें उचित प्रतीत होता है।"

9. सर्वोच्च न्यायालय ने नेवादा प्रॉपर्टीज (पी) लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य, जो (2019) 20 एस.सी.सी. 119 में रिपोर्ट किया गया है, में यह निर्धारित किया है कि सी.आर.पी.सी. की धारा 102 की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जानी चाहिए कि वह पुलिस अधिकारियों को केवल संदेह के आधार पर संपत्ति जब्त करके धन संबंधी विवादों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे, बल्कि इसे 'उचित विश्वास' द्वारा पुष्ट किया जाना चाहिए। निर्णय का प्रासंगिक पैरा नीचे उद्धृत किया गया है:

"31. धारा 102 में प्रयुक्त वाक्यांश 'ऐसी परिस्थितियाँ जो किसी अपराध के किए जाने का संदेह उत्पन्न करती हों', किसी पुलिस अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए दी गई किसी दृढ़ राय या अधिनिर्णय/निष्कर्ष को संदर्भित नहीं करता है कि 'किसी संपत्ति' को जब्त करना आवश्यक है या नहीं। 'संदेह' शब्द, 'उचित विश्वास' या 'संतुष्टि' की तुलना में एक कमजोर और

व्यापक अभिव्यक्ति है। पुलिस अधिकारी एक विवेचक होता है, न कि कोई अधिनिर्णायक या निर्णय लेने वाला। यही कारण है कि अनुसूचित अपराधों के मामलों में धन और अचल संपत्तियों की कुर्की से निपटने के लिए अध्यादेश अधिनियमित किया गया था।"

10. राजस्थान उच्च न्यायालय ने धर्मेन्द्र चावरा हरीश भाई (उपरोक्त) मामले में साइबर अपराध की स्थिति में अपनाए जाने वाले कदमों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया है, जहाँ जाँच अधिकारी को विभिन्न स्थानों, राज्य के बाहर के स्थानों सहित, में व्यक्तियों के खातों पर ग्रहणाधिकार (लीयन) लगाने की आवश्यकता होती है। न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है:

"50. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नानुसार निर्देश देना उचित है:-

i) किसी पीड़ित के माध्यम से या 1930 सहित एन.सी.आर.पी. के माध्यम से साइबर अपराध के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त होने के बाद, पुलिस स्टेशन में उपलब्धता के आधार पर, ए.एस.आई. या उपनिरीक्षक के पद से नीचे के पद के नहीं, बल्कि एक नामित और प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी द्वारा यथाशीघ्र उसका विश्लेषण और जाँच की जाएगी।

(ii) डी.जी.पी. यह सुनिश्चित करेंगे कि साइबर अपराध से संबंधित मामले की विवेचना की प्रक्रिया में शामिल सभी कर्मियों को छह महीने के भीतर अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति पर सामान्य और लापरवाह तरीके से मुकदमा न चलाया जाए।

(iii) जैसे ही किसी अपराध के किए जाने या अपराध के संदेह की सूचना प्राप्त होती है और प्राथमिकी दर्ज की जाती है, तो किसी भी बैंक या भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पी.एस.ओ. या भुगतान एग्रीगेटर) से कोई भी जानकारी प्राप्त करने से पहले, उसकी एक प्रति पुलिस अधीक्षक को भेजी जाएगी और उनकी स्पष्ट या मौखिक मंजूरी प्राप्त की जाएगी। इस संबंध में एक प्रविष्टि पुलिस स्टेशन की रोजनामचा (डेली डायरी) के साथ-साथ केस डायरी में भी दर्ज की जाएगी।

(iv) जैसे ही किसी बैंक खाते में या यू.पी.आई. या वॉलेट सहित किसी भी डिजिटल भुगतान उपकरण का उपयोग करके धन के हस्तांतरण या अपराध की आय के लेनदेन के बारे में कोई जानकारी प्राप्त होती है, तो जानकारी तुरंत लाभार्थी के संबंधित बैंक या भुगतान सेवा प्रणाली, जिसमें भुगतान एग्रीगेटर भी शामिल है, के नोडल अधिकारी को भेजी जाएगी ताकि वे अपने स्तर पर कार्रवाई कर सकें। जानकारी के साथ प्राथमिकी की प्रति या पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी

संलग्न होनी चाहिए। यदि बैंक या भुगतान प्रणाली ऑपरेटर को किसी शिकायत या प्राथमिकी की प्रति के बिना अनुरोध प्राप्त होता है, तो वे उसे अस्वीकार कर सकते हैं।

(v) किसी भी स्थिति में, भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पी.एस.ओ.), भुगतान एग्रीगेटर या मर्चेन्ट जैसी किसी भी वित्तीय इकाई द्वारा संचालित बैंक खाते को किसी तीसरे पक्ष के संदिग्ध लेनदेन के लिए किसी भी पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर बैंक द्वारा ब्लॉक नहीं किया जाएगा और न ही रोका जाएगा। यह निर्देश सी.बी.आई. या ई.डी. के मामलों में लागू नहीं होगा, जिसमें पी.एम.एल.ए. के तहत या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले शामिल हैं।

(vi) भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देश संख्या 7 के अनुसार सभी बैंक और भुगतान प्रणाली ऑपरेटर, जिनमें भुगतान एग्रीगेटर और वित्तीय सेवा प्रदाता शामिल हैं, हितधारक हैं और सी.एफ.सी.एफ.आर.एम.एस. के प्रतिभागी हैं। इसलिए, वे एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे जिसके साथ पुलिस आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर संपर्क स्थापित कर सके। ऐसे अधिकारी के कर्तव्य इस तरह से सौंपे जाएंगे कि अधिकारियों में से एक चौबीसों घंटे संपर्क के लिए उपलब्ध हो। संस्थान इस उद्देश्य के लिए अपनी कस्टमर केयर सहायता का भी उपयोग कर सकते हैं।

(vii) पुलिस किसी भी बैंक से भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पी.एस.ओ.), जिसमें भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान वॉलेट ऑपरेटर या मर्चेन्ट शामिल हैं, द्वारा संचालित किसी भी बैंक खाते या एस्क्रो खाते को ब्लॉक करने या उसमें मौजूद राशि को रोकने का अनुरोध नहीं करेगी। यदि कोई बैंक पुलिस के अनुरोध पर ऐसी किसी इकाई द्वारा संचालित किसी बैंक खाते या एस्क्रो खाते को रोकता है, तो वह बैंक उस पी.एस.ओ. या मर्चेन्ट को होने वाले वित्तीय नुकसान और प्रतिष्ठा की क्षति सहित नागरिक और आपराधिक परिणामों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

(viii) जैसे ही किसी बैंक खाते या किसी डिजिटल लेनदेन से अनधिकृत लेनदेन के बारे में कोई जानकारी प्राप्त होती है, पुलिस संबंधित पुलिस अधीक्षक को सूचित करने के बाद तुरंत कार्रवाई कर सकती है और भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पी.एस.ओ.), जिसमें भुगतान एग्रीगेटर या डिजिटल वॉलेट सेवा प्रदाता शामिल हैं, को एक विशिष्ट राशि (वह पैसा जो कथित तौर पर पीड़ित के बैंक खाते से स्थानांतरित किया गया है) पर ग्रहणाधिकार (लीयन) लगाने के लिए सूचित कर सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में पुलिस किसी बैंक या भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पी.एस.ओ.) से किसी भी व्यक्ति या मर्चेन्ट के पूरे वित्तीय खाते को ब्लॉक या निलंबित करने के लिए नहीं कहेगी।

यदि किसी बचत बैंक खाते का उपयोग अपराध की आय को स्थानांतरित करने या धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए बार-बार किया जाता है, तो पुलिस संबंधित बैंक शाखा को उस बैंक खाता संचालक का विवरण, लेनदेन के इतिहास और स्थान के साथ प्रदान करने के लिए सूचित कर सकती है।

(ix) यदि किसी व्यापारिक वस्तु को ऑनलाइन खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है और पैसा किसी मर्चेन्ट, वित्तीय मध्यस्थ या किसी बैंक या भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पी.एस.ओ.) के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है, तो न ही उस खाते को रोका जाएगा और न ही किसी राशि पर ग्रहणाधिकार (लीयन) लगाया जाएगा, क्योंकि उस राशि का उपयोग किया जा चुका है और उसे वस्तु में परिवर्तित कर दिया गया है, अतः चोरी की गई संपत्ति पैसा नहीं है। क्रेडिट/डेबिट कार्ड का दुरुपयोग बैंक और ग्राहक के बीच एक विवादित लेनदेन है।

(x) जैसे ही किसी बैंक या भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पी.एस.ओ.) सहित किसी वित्तीय मध्यस्थ को ब्लॉक करने, रोकने या ग्रहणाधिकार लगाने की सूचना भेजी जाती है, तो वह सूचना साथ ही 24 घंटे के भीतर संबंधित अधिकार क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। सूचित करने में विफलता ऐसी कार्रवाई को शून्य या पुलिस के विरुद्ध कानूनी रूप से गलत बना सकती है। ये दिशानिर्देश अपराध की आय को स्थानांतरित करने के लिए व्यक्तियों द्वारा संचालित 'म्यूल अकाउंट्स' को ब्लॉक करने और उन पर ग्रहणाधिकार लगाने पर लागू नहीं होंगे।"

11. केरल उच्च न्यायालय ने डॉ. सजीर बनाम भारतीय रिजर्व बैंक, जो (2024) 1 के.एल.टी. 826 में रिपोर्ट किया गया है, में यह निर्धारित किया है कि यदि कथित अपराध का संदेह है, तो फ्रीज की गई राशि पूर्ण नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस राशि के आनुपातिक होनी चाहिए जिसके संदिग्ध होने का आरोप है। याचिकाकर्ता के पूरे बैंक खाते को फ्रीज करने का आदेश गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव डालता है और सम्मान के साथ कमाने और जीने के उसके अमूल्य अधिकारों का अतिक्रमण करता है। निर्णय के प्रासंगिक पैरा नीचे उद्धृत किए गए हैं:

"11. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, जब इन मामलों में - भारत के कई राज्यों में विभिन्न पुलिस अधिकारियों द्वारा - उन सटीक राशियों का उल्लेख किया गया है जिनके याचिकाकर्ताओं के खातों में जमा होने का संदेह है, तो यह समझ पाना मुश्किल है कि उनके पूरे बैंक खाते क्यों फ्रीज रहने चाहिए। यह और भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि, भले ही विचाराधीन राशि याचिकाकर्ताओं के खातों में जमा हुई हो, जब तक कि जांच में अंततः यह सामने नहीं आ जाता



कि वे साइबर अपराध में संलिप्त थे, या उन्होंने इसकी जानकारी होते हुए इसे प्राप्त किया था, उन्हें कभी भी आरोपी नहीं माना जा सकता।

.....

13. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, मैं इन रिट याचिकाओं को निम्नलिखित निर्देशों के साथ निस्तारित करने का आदेश देता हूँ: क. इन मामलों में पक्षकार बनाए गए प्रतिवादी बैंकों को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित याचिकाकर्ताओं के खातों के विरुद्ध फ्रीज के आदेश को केवल उन राशियों तक ही सीमित रखें जिनका उल्लेख पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें जारी किए गए आदेश या मांग-पत्र में किया गया है। यह कार्य तत्काल किया जाएगा, ताकि याचिकाकर्ता उस सीमा के अतिरिक्त अपने खातों का उपयोग करने और उनमें लेनदेन करने में सक्षम हो सकें। ख. संबंधित प्रतिवादी-पुलिस अधिकारियों को एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित बैंकों को इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से आठ महीने की अवधि के भीतर सूचित करें कि क्या इन रिट याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं के खातों को उपरोक्त तरीके से (सीमित राशि तक) फ्रीज रखना जारी रखने की आवश्यकता होगी; और यदि हाँ, तो कितने और समय के लिए।

ग. पुलिस अधिकारियों से उपरोक्त सूचना प्राप्त होने पर, बैंक उसका पालन करेंगे और आवश्यक कार्रवाई पूरी करेंगे - चाहे वह उसमें उल्लिखित अवधि के लिए फ्रीज जारी रखना हो; या उसे वापस लेना हो, जैसा भी मामला हो। घ. हालाँकि, यदि उपरोक्त निर्देश (ख) के तहत बैंकों को कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो याचिकाकर्ता या उनमें से जो भी हों, उन्हें पुनः इस न्यायालय में आने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी; जिस उद्देश्य के लिए इन रिट याचिकाओं में उनके सभी तर्कों को भविष्य में प्रस्तुत करने हेतु खुला और सुरक्षित रखा गया है।

12. उपरोक्त निर्णयों की श्रृंखला में निर्धारित सिद्धांतों का बारीकी से परीक्षण करने के बाद, और वर्तमान मुद्दे पर विचार करने के उपरांत, साइबर अपराध के संदेह में बैंक खाते को फ्रीज करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए जा सकते हैं:-

क. बी.एन.एस.एस. की धारा 106 की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जानी चाहिए कि वह पुलिस अधिकारियों को केवल संदेह के आधार पर संपत्ति जब्त करके धन संबंधी विवादों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे, बल्कि इसे 'उचित विश्वास' द्वारा पुष्ट किया जाना चाहिए।

ख. विवेचना अधिकारी द्वारा बैंक खाते को फ्रीज करने की सूचना तुरंत लाभार्थी के बैंक या भुगतान सेवा प्रणाली, जिसमें भुगतान एग्रीगेटर भी शामिल है, के नोडल अधिकारी को भेजी जाएगी ताकि वे अपने स्तर पर कार्रवाई कर सकें। पुलिस अधिकारी को कथित अपराध के संबंध

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में जानकारी देनी होगी और उसके साथ प्राथमिकी या प्राप्त सूचना की एक प्रति संलग्न करनी चाहिए। यदि बैंक या भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पी.एस.ओ.) को किसी शिकायत या प्राथमिकी की प्रति के बिना अनुरोध प्राप्त होता है, तो वे उसे अस्वीकार कर सकते हैं।

ग. बी.एन.एस.एस. की धारा 106 के तहत नोटिस में एक विशिष्ट राशि (वह पैसा जो कथित तौर पर आरोपी के बैंक खाते से या उसमें स्थानांतरित किया गया है) पर ग्रहणाधिकार (लीयन) लगाने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में पुलिस किसी बैंक या भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पी.एस.ओ.), जिसमें भुगतान एग्रीगेटर शामिल है, से पूरे वित्तीय खाते को ब्लॉक या निलंबित करने के लिए नहीं कहेगी।

घ. जैसे ही किसी बैंक या भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पी.एस.ओ.) सहित किसी भी वित्तीय मध्यस्थ को ब्लॉक करने, रोकने या ग्रहणाधिकार लगाने की सूचना भेजी जाती है, तो वह सूचना साथ ही 24 घंटे के भीतर अधिकार क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। सूचित करने में विफलता ऐसी कार्रवाई को शून्य बना सकती है।

ड. यदि कोई बैंक उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना पुलिस के अनुरोध पर किसी इकाई या नागरिक द्वारा संचालित किसी बैंक खाते या एस्क्रो खाते को रोकता है, तो बैंक उस इकाई या नागरिक के वित्तीय और प्रतिष्ठा संबंधी नुकसान सहित नागरिक और आपराधिक परिणामों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

13. उपरोक्त के अवलोकन से, हमारा यह विचार है कि साइबर अपराध के मामले में, विवेचना अधिकारी के लिए न केवल संबंधित बैंकों को बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 94/106 के तहत नोटिस जारी करना आवश्यक है, बल्कि उसमें उस राशि का भी उल्लेख होना चाहिए जिसके लिए ग्रहणाधिकार (लीयन) मांगा गया है। उस राशि को दर्शाए बिना दिया गया एक सामान्य नोटिस, जिस पर ग्रहणाधिकार मांगा जा रहा है, अवैध और मनमाना होगा। इसके अलावा, विवेचना अधिकारी के लिए उक्त साइबर अपराध के बारे में अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को सूचित करना और बैंकों को उस केस नंबर की जानकारी देना आवश्यक है जो दर्ज किया गया है और जिसके आधार पर उक्त ग्रहणाधिकार / फ्रीजिंग की मांग की जा रही है।

14. इनमें से कई मामलों में, हम यह पा रहे हैं कि विवेचना अधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले आवश्यक जल्दी नोटिस को बैंक को प्रदान किए बिना ही याचिकाकर्ताओं के पूरे खाते को डेबिट फ्रीज करने की मांग की जाती है। इसके अलावा, संबंधित न्यायालय के समक्ष दर्ज किए



गए मामलों का विवरण भी बैंकों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जो बदले में उन व्यक्तियों को यह जानकारी नहीं दे पाते हैं जिनके खाते फ्रीज किए जा रहे हैं या जिन पर ग्रहणाधिकार बनाया जा रहा है।

15. हमारी राय में, यह पूरी कार्रवाई अनुचित और अवैध है। कोई ऐसी स्थिति समझ सकता है जहाँ सीमित अवधि के लिए खाते को फ्रीज करने की आवश्यकता हो ताकि अपराध की आय को हटाया न जा सके। हालांकि, इन चरम मामलों में भी, विवेचना अधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वह तीन से चार दिनों के भीतर बैंक को बैंक खाते पर ग्रहणाधिकार लगाने के लिए पारित जब्ती आदेश, वह वाद संख्या जिसके आधार पर ऐसा ग्रहणाधिकार/फ्रीजिंग की जा रही है, साथ ही वह राशि प्रदान करे जिस पर ग्रहणाधिकार बनाया जाना है।

16. वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि बैंक को जारी किए गए नोटिस में किसी राशि का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा, बैंक द्वारा जाँच अधिकारी को लिखने के बावजूद न तो प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध कराई गई है और न ही कोई जब्ती आदेश बैंक को दिया गया है।

17. इसी के आलोक में, हम विवेचना अधिकारी द्वारा अपनाए गए उस तंत्र को स्वीकार करने और समर्थन करने में असमर्थ हैं जिसमें याचिकाकर्ता के पूरे खाते को फ्रीज कर दिया गया है। बैंक को उस न्यायालय के संबंध में भी कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई है जहाँ संबंधित मामला लंबित है। इसे ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित नोटिस को रद्द और निरस्त किया जाता है तथा संबंधित बैंकों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के खातों को तत्काल डी-फ्रीज (लेनदेन पुनः शुरू) करें और याचिकाकर्ता को अपनी सामान्य बैंकिंग गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति दें। याचिकाकर्ता को आज दिन के दौरान खाते को तत्काल डी-फ्रीज करने के लिए बैंक को सूचित करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की जाती है।

18. उपरोक्त शर्तों के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

19 जनवरी, 2026

लोकेश कुमार

(न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला) (न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ)